1	2	3	4	5	6
13	Punjab	..	2	1	..
14	Tamil Nadu	4	6	5	4
15	Tripura	..	1	..	..
16	Uttar Pradesh	2	..	1	1
17	West Bengal	..	..	1	3
18	Delhi	..	2	..	..
	TOTAL	15	18	16	15

बिहार में आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों हेतु कल्याण योजना

1920. **श्री जनार्दन यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार के भागलपुर तथा संथाल परगना मंडल में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों संबंधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई पृथक योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के० वी० तांकाबालू) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता ।

(ग) कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है । बिहार के भागलपुर तथा संस्थाल परगना मंडल के आदिवासियों के लिए मौजूदा समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं तथा संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पाकेटों तथा क्लस्टरों के अंतर्गत चल रहे सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

Reservation in technical education

1921. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the benefit of reservation is available to the SC, ST and OBC in the technical education; and

(b) what is the percentage thereof for the SC, ST and OBC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) and (b) In Technical education institutions, according to the existing instructions, 15 per cent of seats are to be reserved for students belonging to Scheduled Castes and 7.5 per cent to those belonging to Scheduled Tribes. At present, no reservation in central educational institutions under Government of India is provided for OBCs.

Setting up of branches of NMDFC

1922. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) how many persons have been benefied from the National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) till the end of 1994;